

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 1196 सन 2020

अनवान :-

1. पारी पत्नी हरिसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 20/10/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा देईदासपुरा के खाता संख्या 316/289 की कुल 4.0470हैक्, खाता संख्या 65/58 की कुल 4.04170हैक् रोही मौज दलपतपुरा के खाता संख्या 336/335 की कुल 25.1030हैक् खाता संख्या 165/169 की कुल 4.5530हैक् भूमि दर्ज है

उक्त भूमि मे वादी का नाम प्रार्वति, पारी, मारू देवी दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम पारी पत्नी हरिसिंह है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम पारी पत्नी हरिसिंह है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम पारी पत्नी हरिसिंह दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम प्रार्वति, पारी, मारू देवी दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नहीं है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।


अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर प्रार्वति, पारी, मारू देवी के स्थान पर पारी पत्नी हरिसिंह संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया परोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान केम्प कोर्ट में पेश होने पर वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा देईदासपुरा के खाता संख्या 316/289 की कुल 4.0470हैक्, खाता संख्या 65/58 की कुल 4.04170हैक् रोही मौज दलपतपुरा के खाता संख्या 336/335 की कुल 25.1030हैक् खाता संख्या 165/169 की कुल 4.5530हैक् भूमि दर्ज है।

उक्त भूमि मे वादी का नाम प्रार्वति, पारी, मारू देवी दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम पारी पत्नी हरिसिंह है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम पारी पत्नी हरिसिंह है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम पारी पत्नी हरिसिंह दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम प्रार्वति, पारी, मारू देवी दर्ज किया गया है जो गलत है।

 उपखण्ड अधिकारी

नोहर

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी, खाद बीज का ऋण, मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नहीं है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा देईदासपुरा के खाता संख्या 316/289 की कुल 4.0470 हैक्, खाता संख्या 65/58 की कुल 4.04170 हैक् रोही मौज दलपतपुरा के खाता संख्या 336/335 की कुल 25.1030 हैक् खाता संख्या 165/169 की कुल 4.5530 हैक् जिसमें वादी का नाम प्रार्वति, पारी दर्ज है

वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय पारित पत्नी हरिसिंह के स्थान पर प्रार्वति, पारी, मारू देवी दर्ज किया गया है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं।


वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादी का नाम पारी पत्नी हरिसिंह दर्ज है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी का नाम पारी होना प्रतित होता है

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नहीं होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र/पेरोकार राज की अभिशषा एवं मजमे आम में ली गई जानकारी के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत, पेरोकार राज की अभिशषा एवं मजमे आम में ली गई जानकारी के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा देईदासपुरा के खाता संख्या 316/289 की कुल 4.0470 हैक्, खाता संख्या 65/58 की कुल 4.04170 हैक् रोही मौज दलपतपुरा के खाता संख्या 336/335 की कुल 25.1030 हैक् खाता संख्या 165/169 की कुल 4.5530 हैक् भूमि में वादीया का प्रार्वति, पारी मारू अंकित है के स्थान पर पारी उर्फ पार्वती पत्नि हरिसिंह संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ला दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021
कैम्प कोर्ट.....चक सरदारपुरा.

प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :-

1. पारी पत्नी हरिसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

- 1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1196 सन 2020 निर्णय दिनांक- 20/10/2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष - 2021 मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा देईदासपुरा के खाता संख्या 316/289 की कुल 4.0470हैक्, खाता संख्या 65/58 की कुल 4.04170हैक् रोही मौज दलपतपुरा के खाता संख्या 336/335 की कुल 25.1030हैक् खाता संख्या 165/169 की कुल 4.5530हैक् भूमि में वादीया का प्रार्वति, पारी, मारू अंकित है के स्थान पर पारी उर्फ पार्वती पत्नि हरिसिंह संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.10.2021 को प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष - 2021मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

केम्प कोर्ट....चक सरदारपुरा...